दैनिक भास्कर

रांची में नशीली दवा के दो कारोबारी गिरफ्तार:रातू में खुलेआम प्रतिबंधित दवा की हो रही थी बिक्री, 1100 बोतल सिरप और 22 हजार कैप्सूल जब्त

रांची

ग्रामीण SP नौशाद आलम ने शुक्रवार को रातू थाना में प्रेस कांफ्रेंस कर मामले की जानकारी दी।

रांची के रातू थाना क्षेत्र से नशीली दवा का अवैध कारोबार करने वाले दो कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में रातू के ही रहने वाले सानु कुमार और रौशन कुमार शामिल हैं। इनके पास से 1100 बोतल प्रतिबंधित सिरप और 22 हजार टैबलेट जब्त किए गए हैं।

इसमें मुख्य रूप से जिरेक्स कफ सिरप, वेनरिक्स कफ सिरप की 100-100 ML की बोतलें और स्पैसमो प्रोक्सीवॉन प्लस की 9648 कैप्सूल, नाइट्रोसन टेन की 9000 टैबलेट और विनस्पासमो फोर्ट की 3312 कैप्सूल शामिल है।

SSP को मिली थी गुप्त सूचना

रातू में खुले आम प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार हो रहा था। धड़ल्ले से इनकी बिक्री की जा रही थी। रांची पुलिस को इसकी शिकायत मिली। इसके बाद ग्रामीण SP की निगरानी में SIT का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार की है।

गोदाम से हो रही थी बिक्री

SIT में शामिल एक पदाधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये बिना लाइसेंस के ही अवैध तरीके से इन दवाओं को गोदाम से बेच रहे थे। इनका गोदाम पंचमुखी मंदिर रोड आनंदमयी नगर और कमलेश दूबे पथ रोड नंबर-9 पीरू में संचालित हो रहा था। पुलिस दोनों अपारधियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है

छापामारी दल में पुलिस के साथ मेडिकिल इंस्पेक्टर भी

छापामारी दल में कुल 7 लोग शामिल थे इसमें रातू CO प्रदीप कुमार के साथ रातू थाना प्रभारी अभास कुमार, मेडिकल इंस्पेक्टर कुंज बिहारी और नसीम आलम शामिल थे । इसके अलावा SSP के QRT को भी इसमें शाल किया गया था।

Source: https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/banned-drug-was-being-sold-openly-in-ratu-1100-bottles-of-syrup-and-22-thousand-capsules-were-seized-129220350.html